भा.कृ.अनु.प.– राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो
ICAR – NATIONAL BUREAU OF AGRICULTURAL INSECT RESOURCES
पी.बी. सं. 2491, हे.कृ. फार्म पोस्ट, बेल्लारी रोड, हेब्बाल, बैंगलूरू –560 024
P.B. No. 2491, HA Farm Post, Bellary Road, Hebbal, Bengaluru-560 024

फा.सं.: रा.कृ.की.सं.ब्यू./हिंदी/2018–19/6241 दिनांक : 30 अक्टूबर, 2018

परिपत्र

परिषद् के 15 मई 2002 के पत्रांक 1(13)/97- हिंदी के माध्यम से प्राप्त "सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना" जो संस्थान में 25 जुलाई, 2002 के पृष्ठांकन सं. 9(3)/2002 के माध्यम से लागू है। ब्यूरो के समस्त अधिकारियों /कर्मचारियों के बीच वर्तमान वित्त वर्ष अर्थात 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए परिचालित की जा रही है। इस योजना की रुपरेखा इस प्रकार है:

1. योजना का क्षेत्र

केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र रूप से इस योजना को लागु कर सकते हैं।

2. पात्रता

(क) सभी श्रेणियों के वे अधिकारी/कर्मचारी इस योजना में भाग ले सकते हैं जो सरकारी काम पूर्णतः या कुछ हद तक मूल रूप से हिंदी में करते हैं।

(ख) केवल वही अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे जो वर्ष में कम से कम 10 हज़ार शब्द हिंदी में लिखें। इसमें मूल टिप्पण एवं प्रारूप के आलावा हिंदी में किये गए अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके, जैसे रजिस्टर में इन्दराज, सूची तैयार करना, लेखा का काम आदि शामिल किये जायेंगे।

3. पुरस्कार

भाग लेने वाले कर्मचारियों को प्रतिवर्ष उनके द्वारा हिंदी में किये गए काम के आधार पर भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दिल्ली) के उपनिदेशक (कार्यान्वयन) के 21 नवम्बर, 2016 के पत्र सं. 19/1-59/1-58/201- उ.क्षे.का.का-1 (दि)/3344-

3402 के साथ प्राप्त भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के संयुक्त निदेशक (नीति) के 14 सितम्बर, 2016 के कार्यालय ज्ञापन 12013/01/2011-रा.भा.(नीति) के अनुसरण में निम्नलिखित नकद पुरस्कार दिये जायेंगे।

(1) पहला पुरस्कार (1 पुरस्कार) : प्रत्येक 5,000/-

(2) दूसरा पुरस्कार (1 पुरस्कार) : प्रत्येक 3,000/-

(3) तीसरा पुरस्कार (1 पुरस्कार) : प्रत्येक 2,000/-

अब यह प्रोत्सहान राशि केंद्र सरकार के समस्त मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध:/अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त निकाय आदि के कार्यालयों के लिए एक सामान रूप से लागू होगी।

4. पुरस्कार के लिए मापदंड

(क) मूल्यांकन के लिए 100 अंक रखे जायेंगे, इनमे से 70 अंक हिंदी में किये गए काम की मात्रा के लिए रखे जायेंगे और 30 विचारों की स्पष्टता के लिए होंगे।

(ख) जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तेलगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उड़िया या असमिया हो उन्हें 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जायेगा। ऐसे कर्मचारी को दिए जाने वाले वास्तविक अंकों के लाभ का निर्धारण मूल्यांकन समिति द्वारा किया जायेगा। ऐसा करते समय समिति उन अधिकारियों/कर्मचारियों के काम के स्टार को भी ध्यान में रखेगी जो अन्यथा उससे क्रम में ऊपर हैं।

(ग) प्रतियोगी प्रतिदिन में लिखे गए शब्दों का लेखा-जोखा रखेंगे। प्रत्येक सप्ताह के लेखे-जोखे पर अगले अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के बाद हस्ताक्षर किये जायेंगे। यदि अनुभाग का अधिकारी स्वयं लेखा- जोखा रखता है तो कर्मचारी का लेखा-जोखा रखना आवश्यक नहीं होगा।

(घ) एक वर्ष के अंत में प्रतियोगी हिंदी में किये गए अपने काम का लेखा-जोखा प्रति-हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के माध्यम से मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत करेगा। यदि प्रति-हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी या विभाग प्रमुख स्वयं पूर्णतया निगरानी रखता है और लेखा-जोखा रखता है तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी उसे ब्यौरा देना होगा।

5. मूल्यांकन समिति

मत्रालयों/विभागों में हिंदी प्रभारी, संयुक्त सचिव, संगठन और पद्धति के प्रभारी अवर सचिव और वरिष्ठ हिंदी अधिकारी/ हिंदी अधिकारी इस समिति के सदस्य हो सकते हैं। सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में विभाग/कार्यालय के अध्यक्ष, हिंदी अधिकारी इसके सदस्य हो सकते हैं। तथापि विभिन्न सम्बंधित कार्यालयों में अधिकारियों की उपलब्धता के अनुसार समिति के गठन में परिवर्तन किया जा सकता है।

पुरस्कार जीतने के बारे में सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी के सेवा विवरणों में भी समुचित उल्लेख किया जायेगा।

इस योजना के चलन पर होने वाले खर्च का वहां प्रत्येक कार्यालय/विभाग/कार्यालय द्वारा अपने बजट प्रावधान से किया जायेगा. विभाग/कार्यालय का अध्यक्ष मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर इस परिपत्र के अधिकार से पुरस्कार स्वीकृत कर सकता है। इस पुरस्कार योजना पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने अपनी सहमति अ. टि.सं.एच.78/इइर्द -III/87 दिनांक 27/01/1988 द्वारा दी गयी है।

इस प्रोत्साहन योजना में सहभागिता के इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे वित्त-वर्ष 2018-19 (01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक) के दौरान हिंदी में किये गए कार्य से सम्बंधित आंकड़े संलग्न प्रपत्र में भरकर, अपने प्रभागाध्यक्ष /अनुभागाध्यक्ष के माध्यम से 22 अप्रैल 2019 तक हिंदी एकक में भेजने कि कृपा करें। इस प्रोत्साहन योजना में सहभागिता करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे उनके द्वारा किये गए कार्यों का रिकॉर्ड/ साक्ष्य अपने पास रखें जिसे मूल्यांकन समिति कि बैठक के समय उनके द्वारा उपलब्ध कराया जाये।

यह परिपत्र निदेशक महोदया के अनुमोदनोपरांत जारी किया जा रहा है।

सतेंद्र कुमार
30/10/2018

(सतेंद्र कुमार)
प्रभारी हिंदी प्रकोष्ठ (राजभाषा) एवं
सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी

वितरण:

1. समस्त प्रभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष/प्रभारी को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त प्रोत्साहन योजना अपने अधीनस्थ कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों के बीच परिचालित करने की कृपा करें.
2. निदेशक महोदया के निजी सहायक
3. प्रशासनिक अधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी
4. प्रभारी, संगणक अनुप्रयोग प्रभाग से अनुरोध है कि इस परिपत्र को ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलोड करवाने की कृपा करें
5. ब्यूरो में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों के बीच परिचालित करने हेतु